न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 11/2022 G.C.M.S. No. 2022/00325 दर्ज दिनांक : 22.12.2022

अपीलार्थिगण:

1. कमलेश कुमार पुत्र स्व. भंवरलालजी जाति पुरोहित आयु वयस्क निवासी झाडोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. पृथ्वी कुमार पुत्र स्व. भंवरलालजी जाति पुरोहित आयु वयस्क निवासी झाडोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. पार्वती देवी पत्नी स्व. भंवरलालजी जाति पुरोहित आयु वयस्क निवासी झाडोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मधुदेवी पत्नी गोपालकृष्ण बुधिया जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी झाडोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा जिला सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा उपखंड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 05/2022 मधुदेवी बनाम सरकार वगैरह में पारित आदेश दिनांक 21.11.2022

पैरोकार–

1. श्री दिलीप राजपुरोहित, श्री नरेश पुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री राजेन्द्रसिंह आढा, श्री नारायण पटेल, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट्स।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

निर्णय

दिनांक: 09.01.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा उपखंड अधिकारी पिण्डवाडा के प्रकरण संख्या 05/2022 मधुदेवी बनाम सरकार वगैरह में पारित आदेश दिनांक 21.11.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि मौजा ग्राम बिलर पटवार हल्का झाडोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के प्रार्थीया की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 855 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा सख्या 859 व 860 में से रास्ता घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थीया द्वारा चाहे गये अनुतोष के विपरीत अपीलाण्ट की अन्य खातेदारी आराजी खसरा संख्या 858 में से रास्ता घोषित किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में कोई संक्षिप्त जांच वगैरह नहीं की, तथा खसरा संख्या 855 प्रार्थीया मधुदेवी की खातेदारी नहीं है। उक्त आराजी

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

संयुक्त खातेदारी की आराजी है, जिसमें प्रार्थीया रेस्पोडेण्ट संख्या 1 मात्र 9 बिस्वा भूमि बतौर क्रेता खरीद की है, उक्त खसरा के पूर्व खातेदार विक्रेतागण खसरा संख्या 859 में से आते जाते थे, जिन्हे कभी भी वैकल्पिक रास्ता होने से रास्ते का अभाव नहीं रहा। तथा प्रार्थीया के अभिवचनानुसार उसकी 9 बिस्वा भूमि में कदीमी से आने–जाने हेतु रास्ता खसरा संख्या 859 की राजकीय भूमि में से रहा है। खसरा संख्या 855 के लगते स्थित खसरा संख्या 857 के खातेदार को अपनी कृषि भूमि तक जाने हेतु रास्ते का अभाव नहीं रहा, मौके पर रास्ता स्थित है और आवगमन हो रहा है। खसरा संख्या 859 जो की गै. मु. पत्थर है, जिसमें से प्रार्थीया/रेस्पोडेण्ट्स का कदीमी समय से आवगमन सुचारू है पटवारी से मेलमिलाप कर नाडी होना बताकर खसरा संख्या 859 में कदीमी से रास्ता होने एवं वैकल्पिक रास्ता होन के वाबजूद उसके तरमीम की कार्यवाही नहीं कर मौके पर खसरा संख्या 855 तक पहुंच बनाने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होना प्रमाणित होते हुए भी हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर तथा अपीलार्थी की आपत्तियों को दरकिनार कर उस पर जांच करवाए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया, जो विधि विरूद्ध होकर काबिल खारिज है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन आदेश को खारिज फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीया रेस्पोडेण्ट संख्या द्वारा मौजा ग्राम बिलर पटवार हल्का झाडोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही में प्रार्थीया की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 855 में आने जाने रास्ते की मांग हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21.11.2022 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाण्ट की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 858 में से 264 फीट लम्बा व 16.50 फीट चौडा रास्ता स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्त अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गयी।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार एवं भू.अ.नि. की मौका रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट तैयार करने से अपीलाण्ट्स पक्षकारान् को सूचित नहीं किया गया, एवं अपीलाण्ट की गैर मौजूदगी में तैयार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

Scanned with OKEN Scanner

मौका रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया।

3. अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट की आराजी परस्पर लगती हुई स्थित है। अपीलाण्ट के पास कम रकबे के आराजी है। अतः रास्ते की भूमि के बदले डी.एल.सी की दोगुनी राशि के बजाय समान रकबे की भूमि प्रार्थी से बतौर प्रतिकर दी जाती है तो अपीलाण्ट को कोई अपीलाधीन आदेश से कोई आपत्ति नहीं है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट प्रार्थी द्वारा इससे असहमति जाहिर की है। हमारे विनम्र मत में राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 2023 जो दिनांक 02.09.2023 से प्रभावी है, द्वारा धारा 251–क के प्रकरणों में रास्ते के प्रतिकर के रूप में यदि प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी परस्पर लगती हुई हो, तो रास्ते के रकबे के समान रकबा प्रार्थी की आराजी में से कम किया जाकर अप्रार्थी के नाम बतौर प्रतिकर दर्ज किया जावेगा। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी प्रतिकर के रूप में समान रकबे की भूमि देने से इन्कार नहीं कर सकता।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से साबित होने अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को प्रतिकर राशि की सीमा तक अपास्त किया जाकर पत्रावली विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक रूप से साबित होने व सारवान होने से आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 05/2022 मधुदेवी बनाम सरकार वगैरह में पारित आदेश दिनांक 21.11.2022 को प्रतिकर राशि की सीमा तक अपास्त करते हुए एवं शेष आदेश को यथावत रखते हुए पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण में अपीलाधीन आदेश से स्वीकृत रास्ते के रकबे के प्रतिकर के रूप में प्रार्थी की आराजी में से समान रकबा कम किया जाकर अपीलाण्ट अप्रार्थी की आराजी से लगते हुए भाग की दिशा में अप्रार्थी अपीलाण्ट के नाम बतौर प्रतिकर दर्ज किया जावें। इसके पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकृत रास्ते का नामान्तकरण दर्ज किया जावें। यदि प्रार्थी रेस्पोडेण्ट द्वारा कोई प्रतिकर राशि तहसील/अधीनस्थ न्यायालय में जमा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

Scanned with OKEN Scanner

करवायी गयी हो तो उसे प्रार्थी रेस्पोडेण्ट को पुनः लौटायी जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे संबंधित अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.02.2026 को असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली